

(2) स्थान I प्रकार से IV प्रकार तक के संबंध में पूर्विकता की तारीख सरकारी सेवा में पद ग्रहण की तारीख से होगी और उच्च प्रकार के स्थान के लिए केन्द्रीय सरकार में उस अधिकारी के संबंधित ग्रेड वेतन आहरण करने की तारीख से होगी।

(3) जहां अधिकारियों का ग्रेड वेतन समतुल्य है वहां ज्येष्ठ अधिकारी को कनिष्ठ अधिकारी से प्राथमिकता दी जाएगी।"

[फा. सं. 81397/डीजीक्यूए/एडीएम/आरएमडीसीडब्ल्यू/2944/डी(क्यूए)/10]

सुभाष चन्द, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.नि.आ. 1(अ), तारीख 2-2-1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चात्पूर्ति संशोधन अधिसूचना संख्यांक, (1) का.नि.आ. 90, तारीख 22-4-2000, (2) का.नि.आ. 67, तारीख 29-3-2001, (3) का.नि.आ. 31, तारीख 27-2-2004 और (4) का.नि.आ. 162, तारीख 20-10-2004 द्वारा किए गए थे।

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance)

New Delhi, the 7th October, 2010

S. R. O. 46.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following amendments in the Allotment of Residential Accommodation to civilians serving in Directorate General of Quality Assurance Establishments at stations other than Delhi and New Delhi Area Rules, 1996, namely :—

In the Allotment of Residential Accommodation to civilians serving in Directorate General of Quality Assurance Establishments at stations other than Delhi and New Delhi Area Rules, 1996, for rule 7, the following rule shall be substituted, namely :—

"7. (1) The employee shall be eligible for allotment of residence of the type on the basis of grade pay as shown in the table below :—

Type of Residence	Grade Pay
I	Rs. 1,300 Rs., 1,400, Rs. 1,600, Rs. 1,650 and Rs. 1,800
II	Rs. 1,900, Rs. 2,000, Rs. 2,400 and Rs. 2,800
III	Rs. 4,200, Rs. 4,600 and Rs. 4,800
IV	Rs. 5,400 to 6,600
V	Rs. 7,600 to Rs. 8,900
VI	Rs. 10,000 to HAG level

(2) The date of priority in respect of Type I to Type IV accommodation shall be the date of joining the Government service and for Higher Type of accommodation the date on which the officers start drawing the relevant grade pay in the Central Government.

(3) Where the grade pay of the officers is equal, the senior officer shall be given priority over the junior officer.

[F. No. 81397/DGQA/ADM/RMDCW/2944/D/(QA)/10]

SUBHASH CHAND, Under Secy.

Footnote : The principal rules were published vide number S.R.O. 1(E), dated 2-2-1996 and subsequently amend vide, (1) S.R.O. 90, dated 22-4-2000, (2) S.R.O. 67, dated 29-3-2001, (3) S.R.O. 31, dated 27-2-2004 and (4) S.R.O. 162, dated 29-10-2004.

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2010

का.नि.आ. 47.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा लेखा विभाग (वर्ग-3 और वर्ग-4) भर्ती नियम, 1970 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, करने का लोप किया गया है, रक्षा लेखा विभाग में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग (मल्टी टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. नियंत्रण प्राधिकारी.—पद का प्रशासनिक रूप से नियंत्रण, रक्षा मंत्रालय (वित्त) के अधीन रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा किया जाएगा।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. स्थानांतरण का दायित्व.—मल्टी टास्किंग स्टाफ भारत में कहीं भी स्थानांतरण का दायी होगा।

6. निरर्हता : वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है;

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मल्टी टास्किंग स्टाफ	3225* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वे.बैं.-1 5200- 20200 रु. धन ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति

(7)		
जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखांड, अंदमान और निकोबार द्वीप अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)		
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।		
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	
(11)	(12)	
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	
टिप्पण : मल्टी टास्किंग स्टाफ की सीधी भर्ती, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाएगी।		
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
(13)	(14)	
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : रक्षा लेखा महानियंत्रक से भिन्न अन्य कार्यालयों के लिए :-	लागू नहीं होता।	
1. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक/रक्षा लेखा अपर नियंत्रक/रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक	—अध्यक्ष	
2. रक्षा लेखा उप-नियंत्रक	—सदस्य	
3. रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी	—सदस्य	

(13)

(14)

रक्षा लेखा महानियंत्रक के
कार्यालयों के लिए :-

- | | |
|--|----------|
| 1. रक्षा लेखा ज्येष्ठ उप-महानियंत्रक (प्रशासन)/
रक्षा लेखा उप-महानियंत्रक (प्रशासन) | —अध्यक्ष |
| 2. रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक | —सदस्य |
| 3. ज्येष्ठ लेखा अधिकारी | —सदस्य |

[फा. सं. एफ 9(5)/सी/2010]

अमित कौशिश, अपर वित्तीय सलाहकार व अपर सचिव

(Finance Division)

New Delhi, the 5th October, 2010

S.R.O. 47.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Accounts Department (Class-III and Class-IV) Recruitment Rules, 1970 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Multi Tasking Staff in the Defence Accounts Department, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Defence Account Department (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these rule.

3. Controlling authority.—The post shall be administratively controlled by the Controller General of Defence Accounts under the Ministry of Defence (Finance).

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, to the said-post age limit, qualifications and other matters connected there with shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. Liability for transfer.—The Multi Tasking Staff shall be liable to transfer anywhere in India.

6. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward classes Ex-Servicemen and any other Special Categories of persons in accordance with orders issued by the Government from time to time in this regard.

3850 GI/10-2

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rules 30 of Central Civil Service (Pensions) Rules, 1972	Age limit for Direct Recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Multi Tasking Staff	3225* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band 1 Rs. 5200-20200+ Grade Pay Rs. 1800	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 25 years of age. Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, Sikkim Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba Districts of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.
Educational and other Qualifications required for direct recruits				Whether age and educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	
(8)				(9)	(10)	
1. Matriculation or equivalent pass.				Not applicable	Two years	
Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods				In case of recruitment by Promotion/Deputation/Absorption, Grades from which Promotion/Deputation/Absorption to be made		
(11)				(12)		
By Direct Recruitment Note : Direct Recruitment of Multi Tasking Staff will be made by Staff Selection Commission.				Not applicable		

If Departmental Promotion Committee exists,
what is its composition

Circumstances in which the Union Public
Service Commission is to be consulted
in making recruitment

(13)

(14)

Group 'C' Departmental Promotion Committee
for considering confirmation :

Not applicable.

For offices other than the Controller General of Defence Accounts :—

1. Principal Controller of Defence Accounts/
Controller of Defence Accounts/Additional
Controller of Defence Accounts/Joint
Controller of Defence Accounts —Chairman
2. Deputy Controller of Defence Accounts —Member
3. Assistant Controller of Defence Accounts or
Senior Accounts Officer —Member

For the office of the Controller General of Defence Accounts :—

1. Senior Deputy Controller General of Defence
Accounts (Administration)/Deputy Controller
General of Defence Accounts (Administration) —Chairman
2. Assistant Controller General of Defence
Accounts —Member
3. Senior Accounts Officer —Member

[F.No.9(5)/C/2010]

AMIT. COWSHISH, Addl. Secy. and Addl. FA(A)

रक्षा उत्पादन विभाग

(क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2010

का.नि.आ. 48.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा उत्पादन और प्रदाय विभाग निरीक्षण महानिदेशालय 'ग' भंडारी पद भर्ती नियम, 1984 को जहां तक उनका संबंध भंडारी, ज्येष्ठ भंडारी और भंडारी के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय में, ज्येष्ठ भंडारी और भंडारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय रक्षा उत्पादन विभाग क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ग' (भंडारपालन) पद भर्ती नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकारों लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

MINISTRY OF DEFENCE

(Navy Branch)

New Delhi, the 26th August, 2013

S.R.O. 56.—In exercise of the powers conferred by Section 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Navy (Discipline and Miscellaneous Provisions) Regulations, 1965, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Navy (Discipline and Miscellaneous Provisions) Amendment Regulations, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Navy (Discipline and Miscellaneous Provisions) Regulations, 1965, in Regulation 21 Sub Regulations (2), the following clause shall be substituted, namely :—

(2) The Executive Officer, if he is an officer of the rank of Commander/Captain/Commodore, may be delegated the power to award following punishments, namely :—

[F. No. 282/US(P)/D(N-II)/2013 MFPS 2630/10]

ASHISH SHARMA, Under Secy.

Note :- The Navy (Discipline and Miscellaneous Provisions) Regulation, 1965 were published in the Gazette of India, Part II, Section 4 under the Ministry of Defence Notification No. SRO 2E, dated the 6th February, 1965 and no further amendments have been made in this Regulations.

(Finance Division)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 4th September, 2013

S.R.O. 57.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Recruitment Rules to the posts of Multi Tasking Staff in the Defence Accounts Department, 2010.

1. **Short title and Commencement :** (1) These rules may be called the Defence Account Department (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. SRO No. 83

In Column No. 3 of the schedule of S.R.O. No. 47.

For

“General Central Service Group “C” Gazetted, Non-Ministerial”

Read

“General Central Service Group “C” Non-Gazetted, Non-Ministerial”

[F. No. F. 9 (5)/C/2010]

VEENA PRASAD, Jt. Secy. & Addl. FA(VP)

(9)	(10)
Two years	By direct recruitment through Staff Selection Commission. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at Column (7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Deputy Director General, Ordnance Factory Board -Chairman (2) Director or Jt. Director, Ordnance Factory Board - Member (3) Deputy Director or Staff Officer, Ordnance Factory Board -Member	Not applicable.

[F. No. 41(9)/2013-D(Estt./NG)]

SANJAY RAWAT, Under Secy./D(Estt./NG)

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2018

का.नि.आ. 81.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (बहु कार्य कर्मचारीवृंद) भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (बहु कार्य कर्मचारीवृंद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा लेखा विभाग (बहु कार्य कर्मचारीवृंद) भर्ती नियम, 2010 में, नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर, वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।"

3 अनुसूची के, स्तम्भ (4) में, स्तम्भ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात्:—

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर 1 (18000-56900 रु.);”

[फा. सं. 9(1)/सी/2017]

आर. के. कर्ण, अपर वित्तीय सलाहकार और संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड-4 में का.नि.आ. सं. 47 तारीख 5 अक्तूबर, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात का.नि.आ. 57, तारीख 04 सितम्बर, 2013 द्वारा संशोधित किया गया था, जो भारत के राजपत्र में तारीख 7 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित किया गया था।

(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 11th September, 2018

S.R.O. 81.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Defence Accounts Department (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2010, namely :—

1. (1) These rules may be called the Defence Accounts Department (Multi Tasking Staff) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Accounts Department (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2010, for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :—

“2. Number of posts, classification and Level in Pay Matrix.—The number of said post, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rule.”

3. In the Schedule, in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:—

“ Level in pay matrix
(4)
Level 1
(Rs.18000-56900)”;

[F. No. 9(1)/C/2017]

R. K. KARNA, Additional Financial Advisor and Jt. Secy.

Note: The principal rule were published in Gazette of India, Part-II, Section 4, vide S.R.O.47, dated the 5th day October, 2010. Subsequently amended vide notification S.R.O.57, dated the 4th September, 2013 published in Gazette of India dated the 7th September, 2013.